रजिस्ट्री सं० डी०(डी०)-72

REGISTERED No. D.(D.)-72

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVT. OF INDIA

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 205] नई दिल्ली, सोमवार, जून 25, 1979/आषाढ़ 4, 1901

No. 205] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 25, 1979/ASADHA 4, 1901

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

नौवहन एवं परिवहन मंत्रालय

(परिवहन कक्ष)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 25 जून, 1979

सा० का० नि० 399(अ) :—कतिपय नियमों का निम्नलिखित मसौदा कलकत्ता पत्तन का न्यासी मण्डल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) नियम, 1975 का संशोधन करने के लिए जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव किया है, उक्त धारा की उप-धारा (2) द्वारा यथापेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उक्त नियमों से प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचित किया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लेकर पैंतालीस दिनों की अवधि समाप्त होने पर या उसके बाद उक्त मसौदे पर विचार किया जायेगा ।]

केन्द्रीय सरकार उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व उक्त मसौदे के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर विचार करेगी ।

नियमों का मसौदा

1. (1) इन नियमों का नाम कलकत्ता पत्तन का न्यासी मण्डल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) संशोधन नियम, 1979 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. कलकत्ता पत्तन का न्यासी मण्डल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) नियम, 1975 में, नियम 4 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"5 जो न्यासी संसद सदस्य हो या राज्य विधान सभा का सदस्य हो, उसे कुछ भत्तों की अदायगी करना :—

नियम 2 और 3 में कुछ भी कहे जाने के बावजूद कोई भी न्यासी जो संसद सदस्य अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य भी हो, संसद (निर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के खण्ड (क) में यथापरिभाषित प्रतिपूरक भत्ते को छोड़कर, जैसी भी स्थिति हो, अन्य किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा, या उन भत्तों को छोड़कर, यदि कोई हों तो, जिन्हें राज्य विधान सभा का सदस्य इस प्रकार की निर्हता के बिना राज्य विधानसभा की सदस्यता के लिए निर्हता निवारण के संबंध में राज्य में उस समय लागू किसी भी कानून के अधीन प्राप्त करता हो अन्य किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा ।"

[पी० बी० एल०—17/79]

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATIONS

New Delhi, 25th June, 1979

G.S.R. 399(E).—The following draft of certain rules to amend the Board of Trustees of the Port of Calcutta (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1975 which

the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), is hereby published, as required by sub-section (2) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the said period will be taken into consderation by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Board of Trustees of the Port of Calcutta (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Board of Trustees of the Port of Calcutta (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1975 after rule 4, the following rule shall be inserted, namely :—

"5. Payment of certain allowances to a Trustee who is a member of Parliament or of the Legislature of a State Notwithstanding anything contained in rules 2 and 3, a Trustees who is also a member of Parliament or of the Legislature of a State, shall not be entitled to any fees other than the compensatory allowance as defined in clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959) or, as the case may be, other than the allowances, if any, which a member of the Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating to the prevention of disqualification for membership of the State Legislature, receive without incurring such disqualification."

[PGL-17/79]

सा० का० नि० 400(अ) :—अतिपय नियमों का निम्नलिखित मसौदा बम्बई पत्तन का न्यासी मण्डल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) नियम, 1975 का संशोधन करने के लिए जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव किया है, उक्त धारा की उप-धारा (2) द्वारा यथापेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है जिनके उक्त नियमों से प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचित किया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लेकर पैंतालीस दिनों की अवधि समाप्त होने पर या उसके बाद उक्त मसौदे पर विचार किया जायेगा ।

केन्द्रीय सरकार उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व उक्त मसौदे के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर विचार करेगी।

नियमों का मसौदा

1. (1) इन नियमों का नाम बम्बई पत्तन का न्यासी मण्डल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) संशोधन नियम, 1979 है।

(2) वे राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. बम्बई पत्तन का न्यासी मण्डल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) नियम, 1975 में, नियम 4 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"5 जो न्यासी संसद सदस्य हो या राज्य विधान सभा का सदस्य हो, उसे कुछ भत्तों की अदायगी करना :—

नियम 2 और 3 में कुछ भी कहे जाने के बावजूद कोई भी न्यासी जो संसद सदस्य अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य भी हो, संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के खण्ड (क) में यथापरिभाषित प्रतिपूरक भत्ते को छोड़कर, जैसी भी स्थिति हो, अन्य किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा, या उन भत्तों को छोड़कर, यदि कोई हों तो, जिन्हें राज्य विधान सभा का सदस्य इस प्रकार की निरर्हता के बिना राज्य विधानसभा की सदस्यता के लिए निरर्हता निवारण के संबंध में राज्य में उस समय लागू किसी भी कानून के अधीन प्राप्त करता हो अन्य किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा ।"

[पी० जी० एल०-17/79]

G.S.R. 400(E).—The following draft of certain rules to amend the Board of Trustees of the Port of Bombay (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1975 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), is hereby published, as required by sub-section (2) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the said period will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Board of Trustees of the Port of Bombay (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Board of Trustees of the Port of Bombay (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1975 after rule 4, the following rule shall be inserted, namely :—

"5. Payment of certain allowances to a Trustee who is a member of Parliament or of the Legislature of a State: Notwithstanding anything contained in rules 2 and 3, a Trustee who is also a member of Parliament or of the Legislature of a State, shall not be entitled to any fees other than the compensatory allowance as defined in clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959) or, as the case may be, other than the allowances, if any, which a member of the Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating to the prevention of disqualification for membership of the State Legislature, receive without incurring such disqualification."

[PGL-17/79]

सा०का०नि० 401(अ)—कतिपय नियमों का निम्नलिखित मसौदा मद्रास पत्तन का न्यासी मण्डल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) नियम, 1975 का संशोधन करने के लिये जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव किया है, उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा यथापेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है जिनके उक्त नियमों से प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचित किया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लेकर पेंतालीस दिनों की अवधि समाप्त होने पर या उसके बाद उक्त मसौदे पर विचार किया जायेगा ।

केन्द्रीय सरकार उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व उक्त मसौदे के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर विचार करेगी ।

नियमों का प्रारूप

1. (1) इन नियमों का नाम मद्रास पत्तन का न्यासी मंडल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) संशोधन नियम, 1979 है।

(2) वे राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मद्रास पत्तन का न्यासी मण्डल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) नियम, 1975 में, नियम 2 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

"3 जो न्यासी संसद सदस्य हो या राज्य विधान सभा का सदस्य हो, उसे कुछ भत्तों की अदायगी करना :—

नियम 2 में कुछ भी कहे जाने के बावजूद कोई भी न्यासी जो समद सदस्य अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य भी हो, संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के खण्ड (क) में यथापरिभाषित प्रतिपूरक भत्ते को छोड़कर, जैसी भी स्थिति हो, अन्य किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा, या उन भत्तों को छोड़कर, यदि कोई हो तो, जिन्हें राज्य विधान सभा का सदस्य इस प्रकार की निरर्हता के बिना राज्य विधानसभा की सदस्यता के लिये निरर्हता निवारण के संबंध में राज्य में उस समय लागू किसी भी कानून के अधीन प्राप्त करता हो अन्य किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा।

[पी० जी० एल०-17/79]

G.S.R. 401(E).—The following draft of certain rules to amend the Board of Trustees of the Port of Madras (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules 1975 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), is hereby published, as required by sub-section (2) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the said period will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Board of Trustees of the Port of Madras (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Board of Trustees of the Port of Madras (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1975 after rule 2, the following rule shall be inserted, namely :—

"3. Payment of certain allowance to a Trustee who is a member of Parliament or of the Legislature of a State : Notwithstanding anything contained in rule 2 a Trustee who is also a member of Parliament or of the Legislature of a State, shall not be entitled to any fees other than the compensatory allowance as defined in clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959) or, as the case may be, other than the allowances, if any, which a member of the Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating to the prevention of disqualification for membership of the State Legislature, receive without incurring such disqualification."

[PGL-17/79]

सा०का०नि० 402(अ)—कतिपय नियमों का निम्नलिखित मसौदा तूतीकोरिन पत्तन का न्यासी मण्डल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) नियम, 1979 का संशोधन करने के लिये जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने महा-पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव किया है, उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा यथापेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है जिनके उक्त नियमों से प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचित किया जाता है। कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लेकर पैंतालीस दिनों की अवधि समाप्त होने पर या उसके उसके बाद उक्त मसौदे पर विचार किया जायेगा।

केन्द्रीय सरकार उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व उक्त मसौदे के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर विचार करेगी।

नियमों का मसौदा

1. (1) इन नियमों का नाम तूतीकोरिन पत्तन का न्यासी मण्डल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) संशोधन नियम, 1979 है।

(2) वे राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. तूतीकोरिन पत्तन का न्यासी मण्डल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) नियम, 1979 में, नियम 3 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जायेगा, अर्थात् :—

"4. जो न्यासी संसद सदस्य हो या राज्य विधान सभा का सदस्य हो, उसे कुछ भत्तों की अदायगी करना :—

नियम 2 और 3 में कुछ भी कहे जाने के बावजूद कोई भी न्यासी जो संसद सदस्य अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य भी हो, संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के खण्ड (क) में यथापरिभाषित प्रतिपूरक भत्ते को छोड़कर, जैसी भी स्थिति हो, अन्य किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा, या उन भत्तों को छोड़कर , यदि कोई हों तो, जिन्हें राज्य विधान सभा का सदस्य इस प्रकार की निरर्हता के बिना राज्य विधानसभा की सदस्यता के लिये निरर्हता निवारण के संबंध में राज्य में उस समय लागू किसी भी कानून के अधीन प्राप्त करता हो अन्य किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा।"

(पी०जी०एल०-17/79)

G.S.R. 402(E).—The following draft of certain rules to amend the Board of Trustees of the Port of Tuticorin (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1979 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), is hereby published, as required by sub-section (2) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the said period will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Board of Trustees of the Port of Tuticorin (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Board of Trustees of the Port of Tuticorin (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1979 after rule 3 the following rules shall be inserted, namely :—

"4. Payment of certain allowances to a Trustee who is a member of Parliament or of the Legislature of a State Notwithstanding anything contained in rules 2 and 3, a Trustee who is also a member of Parliament or of the Legislature of a State, shall not be entitled to any fees other than the compensatory allowance

as defined in clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959) or, as the case may be, other than the allowances, if any, which a member of the Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating to the prevention of disqualification for membership of the State Legislature, receive without incurring such disqualification."

[PGL-17/79]

सा०का०नि० 403(अ)—कतिपय नियमों का निम्नलिखित मसौदा मार्मुगाओ पत्तन का न्यासी मण्डल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) नियम, 1964 का संशोधन करने के लिये जिन्हें केन्द्रीय सरकार महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव किया है, उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा यथापेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है जिनको उक्त नियमों से प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचित किया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लेकर पैंतालीस दिनों की अवधि समाप्त होने पर या उसके बाद उक्त मसौदे पर विचार किया जायेगा।

केन्द्रीय सरकार उक्त अवधि समाप्त होने के से पूर्व उक्त मसौदे के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर विचार करेगी।

नियमो का मसौदा

1. (1) इन नियमों का नाम मार्मुगाओ पत्तन का न्यासी मण्डल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) संशोधन नियम, 1979 है।

(2) वे राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मार्मुगाओ पत्तन का न्यासी मण्डल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) नियम, 1964 में, नियम 4 के बाद, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"5. जो न्यासी संसद् सदस्य हो या राज्य विधान सभा का सदस्य हो, उसे कुछ भत्तों की अदायगी करना :

नियम 3 और 4 में कुछ भी कहे जाने के बावजूद कोई भी न्यासी जो संसद् सदस्य अथवा राज्य विधान सभा का सदस्य भी हो, संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के खण्ड (क) में यथापरिभाषित प्रतिपूरक भत्ते को छोड़कर जैसी भी स्थिति हो, अन्य किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा, या उन भत्तों को छोड़कर, यदि कोई हो तो, जिन्हें राज्य विधान सभा का सदस्य इस प्रकार के निरर्हता के बिना राज्य विधान सभा की सदस्यता के लिए निरर्हता निवारण के संबंध में राज्य में उस समय लागू किसी भी कानून के अधीन प्राप्त करता हो अन्य किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा।

[पी०जी०एल०-17/79]

G.S.R. 403(E).—The following draft of certain rules to amend the Mormugao Port Trust (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1964, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), is hereby published, as required by sub-section (2) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the said period will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Mormugao Port Trust (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Mormugao Port Trust (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules 1964, after rule 4, the following rule shall be inserted, namely :—

"5. Payment of certain allowances to a Trustee who is a member of Parliament or of the Legislature of a State : Notwithstanding anything contained in rules 3 and 4, a Trustee who is also a member of Parliament or of the Legislature of a State, shall not be entitled to any fees other than the compensatory allowance as defined in clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959) or, as the case may be, other than the allowances, if any, which a member of Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating to the prevention of disqualification for membership of the State Legislature, receive without incurring such disqualification."

[F. No. PGL-17/79]

सा०का०नि० 404(अ).—कतिपय नियमों का निम्नलिखित मसौदा पारादीप पत्तन का न्यासी मण्डल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) नियम, 1967 का संशोधन करने के लिये जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव किया है, उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा यथापेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है जिनके उक्त नियमों से प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचित किया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लेकर पैंतालीस दिनों की अवधि समाप्त होने पर या उसके बाद उक्त मसौदे पर विचार किया जायेगा।

केन्द्रीय सरकार उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व उक्त मसौदे के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर विचार करेगी।

नियमों का मसौदा

1. (1) इन नियमों का नाम पारादीप पत्तन का न्यासी मण्डल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) संशोधन नियम, 1979 है।

(2) वे राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पारादीप पत्तन का न्यासी मण्डल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) नियम, 1967 में, नियम 3 के बाद निम्नलिखित नियम रखा जायगा अर्थात् :—

"4. जो न्यासी संसद सदस्य हो या राज्य विधान सभा का सदस्य हो, उसे कुछ भत्तों की अदायगी करना :

नियम 2 और 3 में कुछ भी कहे जाने के बावजूद कोई भी न्यासी जो संसद सदस्य अथवा राज्य विधान सभा का सदस्य भी हो, संसद निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के खण्ड (क) में यथापरिभाषित प्रतिपूरक भत्ते को छोड़कर जैसी भी स्थिति हो, अन्य किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा, या उन भत्तों को छोड़कर यदि कोई हो तो, जिन्हें राज्य विधान सभा का सदस्य इस प्रकार के निरर्हता के लिये बिना राज्य विधान सभा की सदस्यता के लिये निरर्हता निवारक के संबंध में राज्य में उस समय लागू किसी भी स्थानीय विधि कानून के अधीन प्राप्त करता हो अन्य किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा।

[पी०जी०एल०-17/79]

G.S.R. 404(E).—The following draft of certain rules to amend the Paradip Port Trust (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1967, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963

(38 of 1963), is hereby published, as required by sub-section (2) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the said period will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Paradip Port Trust (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Paradip Port Trust (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1967, after rule 3, the following rule shall be inserted, namely :—

"4. Payment of certain allowances to a Trustee who is a member of Parliament or of the Legislature of a State : Notwithstanding anything contained in rules 2 and 3, a Trustee who is also a member of Parliament or of the Legislature of a State, shall not be entitled to any fees other than the compensatory allowance as defined in clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959) or, as the case may be, other than the allowances, if any, which a member of Legislature of the State may, under any law for the time being in force in the State relating to the prevention of disqualification for membership of the State Legislature, receive without incurring such disqualification."

[F. No. PGL-17/79]

सा०का०नि० 405(अ).—कतिपय नियमों का निम्नलिखित मसौदा महा पत्तन न्यास (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) नियम, 1964 का संशोधन करने के लिये जिन्हें केन्द्रीय सरकार ने महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 122 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाने का प्रस्ताव किया है, उक्त धारा की उपधारा (2) द्वारा यथाअपेक्षित उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है जिनके उक्त नियमों से प्रभावित होने की संभावना है और यह सूचित किया जाता है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लेकर पैतालीस दिनों की अवधि समाप्त होने पर या उसके बाद उक्त मसौदे पर विचार किया जायेगा।

केन्द्रीय सरकार उक्त अवधि समाप्त होने से पूर्व उक्त मसौदे के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर विचार करेगी।

नियमों का मसौदा

1. (1) इन नियमों का नाम महा पत्तन का न्यासी मण्डल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) संशोधन नियम, 1979 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. महा पत्तन का न्यासी मण्डल (न्यासियों को शुल्क और भत्तों की अदायगी) नियम, 1964 में, नियम 4 के बाद निम्नलिखित नियम रखा जायगा, अर्थात् :—

"5. जो न्यासी संसद सदस्य हो या राज्य विधान सभा का सदस्य हो उसे कुछ भत्तों की अदायगी करना :—

नियम 3 और 4 में कुछ भी कहे जाने के बावजूद कोई भी न्यासी जो संसद सदस्य अथवा राज्य विधान सभा का सदस्य हो, संसद (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 (1959 का 10) की धारा 2 के खण्ड (क) में यथा परिभाषित प्रतिपूरक भत्ते को छोड़कर जैसी भी स्थिति हो, अन्य किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा, या उन भत्तों को छोड़कर यदि कोई हो, तो जिन्हें राज्य विधान सभा का सदस्य इस प्रकार के निरर्हता के बिना राज्य विधान सभा की सदस्यता के लिये निरर्हता निवारण के संबंध में राज्य में उस समय लागू किसी भी कानून के अधीन प्राप्त करता हो अन्य किसी भी शुल्क का हकदार नहीं होगा।

[पी०जी०एल०-17/79]

दिनेश कुमार जैन, संयुक्त सचिव

G.S.R. 405(E).—The following draft of certain rules to amend the Major Port Trusts (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1964 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 122 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), is hereby published, as required by sub-section (2) of the said section, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration on or after the expiry of a period of forty-five days from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

Any objections or suggestions which may be received from any person with respect to the said draft before the expiry of the said period will be taken into consideration by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Major Port Trusts (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Amendment Rules, 1979.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Major Port Trusts (Payment of Fees and Allowances to Trustees) Rules, 1964, after rule 4, the following rule shall be inserted, namely :—

"5. Payment of certain allowance to a Trustee who is a member of Parliament or of the Legislature of a State : Notwithstanding anything contained in rules 3 and 4, a Trustee who is also a member of Parliament or of the Legislature of a State, shall not be entitled to any fees other than the compensatory allowance as defined in clause (a) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 (10 of 1959) or, as the case may be, other than the allowances, if any, which a member of the Legislature of the State may, under any law for the time being in forc in the State relating to the prevention of disqualification for membership of the State Legislature, receive without incurring such disqualification"

[F. No. PGL-17/79]

D. K. JAIN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054 1979